

formed on 14-12-1985 and was granted de-jure recognition by KVS on 28-2-1986. The second convention of this association an intimated by them was held on 16th & 17th September, 1989, RKVAS later split into two groups. Pending the final decision on the verification of membership of both the factions, KVS temporarily permitted both the groups under the name RKVAS (U) (Jagat Singh) and RKVAS (Ujagar Singh).

The III convention of the RKVAS (U) was held on 27th & 28th November, 1993 and as per the report of the Election Commissioner appointed by this Sangh Sh. Sukhbir Singh Malik was declared elected President of RKVAS (U) and the suffix of this Association was accordingly changed to RKVAS (S).

The names of the elected office bearers were circulated to all the Asstt. Commissioners by H.Q. K.V.S. to extend the facilities to both the groups as are available to the other recognised Associations, temporarily subject to the condition that the groups will prove their membership in accordance with the Rules. Both the groups of RKVAS are functioning as RKVAS(U) and RKVAS(S) and they have been provided facilities as given to other recognised Associations of KVS.

Department of Personnel & Training have since issued revised instructions regarding recognition of service Associations and also procedure for verification of membership of Associations. Kendriya Vidyalaya Sangathan is taking necessary action for adoption of these rules for dealing with all matters relating to the Associations.

हिन्दी में कंप्यूटर शिक्षा

2851. श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला :
श्रीधरी हरमोहन सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की हिन्दी में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने संबंधी कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) :

(क) और (ख) शिक्षा विभाग के पास 8 वीं पंचवर्षीय योजना में हिंदी में कंप्यूटर शिक्षा को प्रोत्सहित करने की कोई योजना नहीं है ।

शैक्षिक कार्यकलापों में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों को ऋण

2852. श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला :
श्रीधरी हरमोहन सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार शैक्षिक कार्यकलापों में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों को किस आधार पर आनुदान अथवा ऋण देती है;

(ख) क्या सरकार सहायता अथवा ऋण देने के बाद इन संगठनों द्वारा धन के उपयोग की निगरानी करती है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को आंतरिक लेखा-परीक्षा एवं अन्य माध्यमों से वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है; एवं इन स्वैच्छिक संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :
(क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह प्रावधान है कि समुचित प्रबंधन के अधीन सामाजिक कार्य करने वाले समूहों सहित गैर-सरकारी तथा स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा । तदनुसार यह मंत्रालय स्वैच्छिक एजेंसियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता अनुदान प्रदान करता है । संस्वीकृति से पूर्व तथा बाद में उनके अनुभवण के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों के प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए अंतर्निहित तंत्र है ।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करना

2853. श्री अजीत जोगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सिविल सेवा के समान भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों के विचार मांगे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) :

(क) से (घ) कारंवाई योजना (बी० ओ० ए०)